

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज., जयपुर
क्रमांक :-ई-18/एम/7314-यू/2019/
दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 345 दिनांक 25.01.2019 के द्वारा श्री मागीलाल खटीक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का विभागीय कोटे के अन्तर्गत जीएनएम प्रशिक्षण में चयन होने के फलस्वरूप दिनांक 03.02.2016 से 01.08.2016 तक 180 दिवस अर्द्धवेतनिक अवकाश एवं दिनांक 02.08.2016 से 05.10.2018 तक 795 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था, को कर्मचारी की स्वयं की प्रार्थना एवं सम्बन्धित अधिकारी की अनुशंसा पर निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :-

1. दिनांक 03.02.2016 से 31.07.2016 तक 180 दिवस अर्द्धवेतनिक अवकाश।
2. दिनांक 01.08.2016 से 05.10.2018 तक 796 दिवस असाधारण अवकाश।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

S-12
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/7314-यू/2019/1552

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक : 06/08/19

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
2. श्री मागीलाल खटीक, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

S-12
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर